न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
340/2012

दायर दिनांक
19.12.2012

निर्णय दिनांक
28.08.2024

उनवान

1. श्री नारायण सिंह आत्मज श्रीचिमनसिंह जी जाति राजपूत आयु व्यस्क निवासी पालड़ी तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा. (राज०) मृतक कायम मुकाम
भंवर सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत निवासी पालड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा, (राज०)
2. राजस्थान राज्य जरिए जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाड़ा, (राज०)

उपस्थितिः--

–प्रतिवादीगण

वादी अधिवक्ता श्री मांगी लाल सेन
प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार

दावा घौषणा व रेकॉर्ड में कराये जाने दुरस्थी

वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर सादर निवेदन किया है कि वादी के कब्जे काश्त एंव स्वामित्व आधिपत्य की कृषि भूमि वाके ग्राम पालड़ी प०ह० पालड़ी में आराजी नम्बर 1532 व 1533 कुल किता 2 कुल रकबा 2.06 दो बीघा छः बिस्वा स्थित है।

वाद पत्र की वरण संख्या 01 में वर्णित वर्तमान कृषि आराजी नम्बर 1532 रकबा 2.01 दो बीघा एक बिस्वा, 1533 रकबा 0.05 पाँच बिस्वा के पुराने साबिक आराजी नम्बर 723/1 थे जो कि सेटलमेन्ट के बाद नये नम्बर आराजी नम्बर 1532, 1533 कायम हुये, साबिक आराजी नम्बर 723/1 थे, सेटलमेन्ट के बाद उक्त भूमि को बिलानाम अंकित कर दिया जिसे दुरस्थ कराने के लिए रेकॉर्ड दुरस्थी का वाद प्रशासन केम्प पालड़ी में प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार किया जाकर शिकमी काश्तकार के रूप में खातेदारी अधिकार प्रद्धत किये गये चूँकि उक्त भूमि वादी के पूर्वजों की होकर बहुत पुराना कब्जा है तथा शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज है जिसमें शिकमी के बजाय खातेदार काश्तकार घौषित करवा राजस्व रेकॉर्ड में दुरस्थी करवाने का वादी अधिकारी है।

विवादग्रस्त भूमि वादी के पूर्वजों की थी तथा वादी के पूर्वजों के नाम पर शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज थी इसलिए बिलानाम के बाद राजस्व रेकॉर्ड में दुरस्थी की गई जिसमें भी शिकमी काश्तकार ही दर्ज कर दिया जबकि वादी का उक्त भूमि पर काफी अर्सो व लम्बे समय से नियमित रूप से बिना किसी रोक–टोक व व्यवधान के कब्जा काश्त चला आ रहा है अतः वादी को शिकमी काश्तकार के बजाय रेकॉर्ड में स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घौषित किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन किया जाना आवश्यक है चूँकि उक्त भूमि वादी के पूर्वजों की है इसलिए वादी पो० भराई शिकमी काश्तकार के बजाय उक्त भूमि का वादी नारायणसिंह को खातेदार काश्तकार घौषित करवा राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी अधिकार के रूप में अंकन करवाने का अधिकारी है इसके लिए वादी ने प्रतिवादी तहसीलदार साहब के यहाँ आवेदन प्रस्तुत किया किन्तु उक्त भूमि को राजस्व रेकॉर्ड में शिकमी पो० भराई शब्द को हटाकर रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरस्थी नही की गई जिससे वादी की और से प्रतिवादीगण को धारा 80 जा०दी० का नोटिस दिनांक 05/12/2012 को प्रेषित किया गया किन्तु कुछ भी सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई उक्त

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

नोटिस प्रतिवादीगण को दिनांक 06/12/2012 को ही प्राप्त हो गया था चूँकि उक्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड में पो–भराई शिकमी काश्तकार के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में अंकित होने से आस–पास के पड़ौसियों द्वारा भूमि के सीमा के बाबत् दखंलदाजी की जा रही है जिससे वादी अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी व सीमाज्ञान नही करवा पा रहा है तथा पड़ौसीयान द्वारा भी मौके पर दखंलदाजी की जा रही है इसलिए वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह घोषणा व रेकॉर्ड में दुरस्थी का वाद प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

प्रस्तुत वाद घोषणात्मक वाद है जिसमें प्रतिवादीगण राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाड़ा एंव जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 जा०दी० का नोटिस दिया जाना आवश्यक है जो कि दिनांक 05/12/2012 को प्रेषित किया जो कि 06/12/2012 को प्रतिवादीगण को प्राप्त हो गया किन्तु प्रतिवादीगण की और से कोई सकारात्मक कार्यवाही नही हुई है एंव हाल ही में आस पड़ौसियों द्वारा जमीन पर दिनांक 10/12/2012 को अनावश्यक दखंलदाजी की जा रही है जिससे सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी हेतु तुरता फुरती व अत्यावश्यक रूप से शीघ्र रेकॉर्ड में दुरस्थी करवाना आवश्यक हो गया है इसलिए यह वाद नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही प्रस्तुत है जिसकी स्वीकृति हेतु दफा धारा 80(2) जा०दी० का आवेदन अलग से प्रस्तुत है।

वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के बिनाय वाद कारण दिनांक 06/12/2012 को प्रतिवादीगण को नोटिस प्राप्त होने व आस–पास में पड़ौसीयान द्वारा 10/12/2012 को सीमा के बाबत् विवाद व दखंलदाजी करने पर उत्पन्न हुआ है अतः वाद कारण दिनांक 06/12/2012 से उत्पन्न होकर जारी है।

अतः प्रार्थना है कि :--

(क) वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय कि घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित कृषि आराजी नम्बर 1532, 1533 कुल किता 2 दो कुल रकबा 2.06 दो बीघा छः बिस्वा भूमि में वादी को शिकमी पो–भराई काश्तकार के बजाय वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर पो–भराई शिकमी हटाया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में दुरस्थी कराई जावें।

(ख) हर्जा–खर्चा वकिल महनताना वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

(घ) अन्य अनुतोष मुफिद हो जो वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण के नोटिस जारी किए गए। दिनांक 02.04.2013 को पेरोकार सरकार का जवाब पेश हुआ जो इस प्रकार है–

1. स्वीकार नही है ग्राम पालड़ी के खसरा नम्बर 1532 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, 1533 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा पर स्वामित्व वादी का नहीं होकर पो भराई खातेदार यानि ग्राम वासियों के लिए पानी हेतु भरी जाने वाली पो (प्याउ) का है।

2. जिस प्रकार अंकित किया है स्वीकार नहीं है। वादपत्र के चरण नम्बर 1 में उल्लेखित भूमि वादी के पूर्वजों की नहीं होकर भू--प्रबन्ध कार्यवाही के पूर्व भी उक्त भूमि श्री प्याउ करते देह की खातेदारी में अंकित थी।

3. स्वीकार नही है भूमि वादी के पूर्वजों की नहीं होकर श्री प्याउ वास्ते देह दर्ज थी वादी जो इस भूमि पर शिकमी रेकार्ड में दर्ज है को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। क्योंकि श्री प्याउ वास्ते देह या पो भराई सदैव मंदिर मूर्ति की तरह शाश्वत किशोर (नाबालिग) होती है। इस प्रकार जिस तरह मंदिर मूर्ति के साथ पूर्व में पुजारियों के नाम अंकित है उनके राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार खाते से हटा दिया गया। इस भूमि के साथ अंकित शिकमी काश्तकार का नाम भी विलोपित किया जाना होगा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (क) के

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अनुसार श्री प्याउ या पो भराई शाश्वत अवयस्क होने से इस भूमि पर शिकमी काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है।

अनुतोष –क. वाद के चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि श्री प्याउ या पो भराई की खातेदारी में दर्ज है। जो मंदिर मूर्ति की तरह शाश्वत किशोर नाबालिग है। इस कारण इस भूमि पर शिकमी काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गई जो इस प्रकार है–

तनकी नम्बर 1. आया ग्राम पालड़ी में स्थित आराजी नम्बर 1532 एवं 1533 कुल किता 2 कुल रकबा 2.06 बीघा भूमि जिसके साबिक आराजी नम्बर 623/1 थे की बिलानाम भूमि पर वादी या भराई शिकमी काश्तकार के बजाय खातेदारी अधिकार की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिम्मेवादी

तनकी नम्बर 2. आया विवादित आराजी सेटलमेंट पूर्व से आज तक पो भराई खातेदार शिकमी के नाम की भूमि बिलानाम भूमि है तथा सार्वजनिक उपयोग से संबंधित बिलानाम भूमि होनें से वादी उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादी

3.अनुतोष–

प्रकरण में साक्ष्यवादी हेतु शपथ पत्र श्री भंवरसिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत निवासी पालड़ी का दिनांक 05.06.2013 को पेश हुआ। दस्तावेज पेश किए, जिसमें जमाबन्दी सम्वंत 2067–2070 प्रदर्श 1 है एवं जमाबन्दी 2036–2039 पेश की जो प्रदर्श 2 है। मिलान खसरा भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श 3 है। रजिस्टर्ड नोटिस 80 सीपीसी पेश प्रदर्श 4 है। नोटिस प्राप्ति रसीद प्रदर्श 5 व 6 है। साक्ष्य में मुख्तयारनामा खास रजिस्टर्ड दिनांक 04.06.2003 की फोटोप्रति पेश की।

प्रकरण में दिनांक 11.02.2015 को वादी अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र ऑर्डर 22 नियम 3 जा0 दी0 का पेश किया। दिनांक 20.02.2015 को ऑर्डर 22 नियम 3 जा0 दी0 के समर्थन में मृत्यू प्रमाण पत्र पेश किया। मृतक नारायण सिंह के वारिसान में भंवर सिंह पुत्र को कायम मुकाम निर्धारित कराने की प्रार्थना की गई है। जिसे स्वीकार किया जाता है। संशोधित उनवान पेश करे। वादी अधिवक्ता की दिनांक 30.11.2015 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 पर बहस सुनी गयी वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पालड़ी में स्थित हाल आराजी नम्बर 1532 रकबा 2.01 बीघा एवं आराजी नम्बर 1533 रकबा 0.05 है। पौ के लिए केवल एक बिस्वा भूमि की जरूरत होती है। अतः उक्त आराजी में स्थित पौ की मौके की अवस्थिती व कब्जे आदि की मौका रिपोर्ट मंगवाई जाने हेतु कमिश्नर की नियुक्ती करवाई जावे। वादग्रस्त ग्राम पालड़ी के आराजी नम्बर 1532 रकबा 2.01 है0 आराजी नम्बर 1533 रकबा 0.05 बिस्वा भूमि पौ भराई खातेदार शिकमी नारायण सिंह पिता चिमनसिंह राजपूत दर्ज है। वादग्रस्त आराजी के पौ भराई उपयोग में कितना–कितना क्षेत्रफल आ रहा है। इसके निर्धारण हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। वादी वादग्रस्त आराजियात की मौका रिपोर्ट हेतु कमिश्नर फीस 500 रूपये तहसीलदार भीलवाड़ा को अदा करने पर मौका रिपोर्ट कमिश्नर तैयार कर पेश करे। इस आदेश के अन्तर्गत तहसीलदार भीलवाड़ा ने अपने पत्र कमांक राजस्व/2015/530 दिनांक 11.12.2015 से रिपोर्ट प्रस्तुत की जो निम्नानुसार है–

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

ग्राम पालड़ी के आराजी नम्बर 1532 रकबा 2.06 बीघा लगानी 18.56 खाता संख्या 239 में श्री पो भराई खातेदार शिकमी भंवरसिंह पिात नारायण सिंह सुप्यार कंवर पत्नी नारायण सिंह राजपूत दर्ज रेकार्ड है।

मौके पर उक्त भूमि वर्तमान में पडत पड़ी हुई है तथा इसकी पालीयों पर 10 नीम के पेड़ व 3 अन्य प्रकार के पेड़ खड़े हुए है। पूर्वी मेड पर दिवार बना रखी है, उत्तरी आधी मेड पर भी दिवार बना रखी है मौके पर उक्त आराजी नम्बर में कही पर भी पानी की पौ बनी हुई नहीं है। पुरानी पानी की पौ इन आराजी की सीमा से 100 फिट दूरी पर भीलवाड़ा आरज्या सड़क के किनारे बनी हुई है। जो आराजी नम्बर 1529 रकबा 0.05 बिस्वा गे0 मु0 बावड़ी से पुराने जमाने में भरी जाती थी। वर्तमान में मौके पर बावड़ी बनी हुई नहीं है पौ जीर्ण शीर्ण अवस्था में होकर उपयोग योग्य नहीं है। आराजी नम्बर 1532 रकबा 2.01 एवं 1533 रकबा 0.05 कुल किता 2 कुल रकबा 2.06 बीघा पर कब्जा श्री भंवर सिंह पिता नारायण सिंह व सुप्यार कंवर पत्नी नारायण सिंह है। इस आराजियात के उत्तर में आबादी दक्षिण में इन्ही की खातेदारी पूर्व में गत्ता फेक्ट्री व धागे की फेक्टी पश्चिम में सड़क है।

वादी का वादपत्र एवं प्रतिवादी के जवाब का अध्ययन किया गया। वादी की साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेज एवं तथ्यो पर परीक्षण किया गया । प्रकरण पर तनकी वार निर्णय निम्नानुसार है–

<u>तनकी संख्या 1</u>–इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर है। ग्राम पालड़ी के आराजी नम्बर 1532, 1333 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि पो भराई खातेदार शिकमी नारायण सिंह पिता चिमन सिंह राजपूत के नाम पर दर्ज रेकार्ड है जिसके समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2063–2067 की पेश की। इसी प्रकार वादी ने जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 एवं जमाबन्दी सम्वत 2036–2039 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है जो प्रदर्श 6 है। वाद ग्रस्त आराजियात वादी की पैतृक नहीं होकर राजस्थान सरकार की होकर पौ भराई खातेदार शिकमी नारायण सिंह पिता चिमन सिंह राजपूत के नाम की पेश की है। इस प्रकार वादी खातेदार नहीं है केवल शिकमी है जिसे खातेदार की घोषणा के अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है। यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णय की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2</u> को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी पर है। वादग्रस्त ग्राम पालड़ी के आराजी नम्बर 1532 व 1533 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि जिसके साबिक आराजी नम्बर 723/1 थे जो कि बिलानाम भूमि पर वादी पो भराई शिकमी काश्तकार के आधार पर उपयोग कर रहा है। शिकमी काश्तकार को खातेदारी अधिकार की घोषणा की डिग्री प्रदान नहीं की जा सकती है। यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में व वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>अनुतोष</u> – ग्राम पालड़ी के आराजी नम्बर 1532, 1533 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि जो पो भराई खातेदार शिकमी नारायण सिंह पिता चिमन सिंह राजपूत के नाम पर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। इस आराजी में वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध खातेदार काश्तकार घोषित करने की डिग्री प्रदान नहीं की जा सकती है। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है। अतएव

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

—:आदेश:—

वादी का वादपत्र घोषणा व रेकार्ड में कराए जाने दुरूस्ती का सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना —अपना वहन करे। तदानुसार डिग्री जारी हो।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

करण सं.340/2012

1- श्री नारायणसिंह आत्मज श्री चिमनसिंह जाति राजपूत नि.पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
मृतक कायम मुकाम –भंवरसिंह पुत्र नारायणसिंह राजपुत नि.पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

2- राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद घोषणा व रिकार्ड मे कराये जाने दुरस्ती

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन एवं प्रतिवादी की और से पेरोकार रकार की उपस्थिति मे इस वाद मे आज दिनांक 28.08.2024 को अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर म्न आदेश दिया गया -

वादी का वादपत्र घोषणा व रिकार्ड मे कराये जाने दुरस्ती का सिद्ध नही होने से ारिज किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा
पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा